न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – पंकज बडगूजर(RAS)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
206 / 2021	22.07.2021	01.07.2022

अनुवान

1. सुरतराम पुत्र गब्दूराम जाति जाट निवासी हरचन्दपुरा तह0 बावल जिला रेवाडी, हरि0

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर, राज0

असल प्रतिवादी

2. शेरसिंह पुत्र गब्दूराम
3. रामकिशन
4. सरजीत पुत्रान गब्दूराम जातियान जाट निवासीयान हरचन्दपुरा तह0 बावल जिला रेवाडी, हरि0
5. रामजीतसिंह पुत्र प्रतापसिंह
6. प्रदीप कुमार पुत्र प्रतापसिंह जातियान जाट निवासीयान चिरूणी तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0

तर0 प्रतिवादीगण

दावा– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती नक्शा
लट्ठा मय हु0ई0दवामी

उपस्थिति– श्री अशोक चौधरी प्रथम –अधिवक्ता वादी

–: निर्णय :–

दिनांक– 01.07.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:56:16 IST
Reason: SelfAttested

आज यह पत्रावली सुनाये जाने निर्णय आदेश पर ली हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि आ0ख0न0 853 / 0.70, 854 / 0.49, 861 / 0.32, 860 / 0.44, 858 / 0.85, 859 / 0.66 है0 वाके ग्राम चिरूणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित है जो साबिक ख0न0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

414 से सैटलमेंट के दौरान भूप्रबंध विभाग द्वारा पैमूद किये गये है। विवादित आराजी मिन वादी व तरप्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त एवम खातेदारी की आराजी रही है तथा हम आराजी पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी को साबिक ख0न0 से उक्त हाल ख0नम्बरान पैमूद कर राजस्व कर्मचारी द्वारा नक्शा लट्ठा बनाते समय साबिक ख0न0 414 के अनुसार नक्शा लट्ठा ना बनाया जाकर कम रकबा का नक्शा लट्ठा गलत तरमीम किया है जबकि साबिक ख0न0 414 का रकबा मसाबी नक्शा लट्ठा में 29+25 चौडाई में रहा है, लेकिन उक्त हाल ख0 नम्बरान 859, 861 की दक्षिणी मेढ पूर्व से पश्चिम 54 लट्ठा होनी चाहिए तथा उसी अनुसार उत्तर दिशा की तरफ सीधी रेखा बनाई जावे जबकि हाल ख0न0 में उक्त मेढ 54 गट्ठा है तथा नक्शा लट्ठा में रकबा गलत तरमीम के कायम रहने से मिनवादी व तरप्रतिवादी के हकूकों पर कुठाराघात होता है इसलिए मिनवादी के हकूकों के रक्षार्थ दावा दरूस्ती नक्शा लट्ठा तरमीम का प्रस्तुत करना लाजिमी आया है। प्रतिवादी संख्या 1 नक्शा में गलत तरमीम का बेजा फायदा उठाकर मिनवादी की डोर को मिसमार करना चाहता है, जबकि आराजी की साबिक रिकॉर्ड के अनुसार पुरानी डोल कायम है आदि–आदि का निवेदन करते हुए अंकन किया है कि तरप्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पिता प्रतापसिंह पुत्र गब्दूराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा इनके पिता फौत होने से पूर्व ही तरप्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम रजिस्र्ड वसीयत कर दी थी का निवेदन करते हुए वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती नक्शा लट्ठा इस अमर की पारित की जावे कि उपरोक्तानुसार हाल आराजी ख0 नम्बरान वाके ग्राम चिरूणी तहसील मुण्डावर में नक्शा साबिक ख0न0 414 की चौडाई मसाबी नक्शा के अनुसार ख0न0 859, 861 की दक्षिणी मेढ पूर्व से पश्चिम 54 गट्ठा है, उसी अनुसार तरफ उत्तर में सीधी रेखा बनाई जाकर लाल स्याही से अंकित कर नक्शा लट्ठा दुरूस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करे, नक्शा लट्ठा दुरूस्त फरमाया जाये एवम प्रतिवादी संख्या 1 को डिक्री हु0ई0दवामी से पाबंद किया जावे कि वो उक्तानुसार विवादित आराजीयात की डोल को मिसमार नहीं करे ना ही मिनवादी को काश्त कार्य में मजामत ही पैदा करे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी [illegible] तिवादीगण संख्या 2 लगायत 6 की ओर से श्री मुकेश गुर्जर ने वकालतनामा [illegible] संख्या 1 पैरोकार सरकार की ओर से जवाब पैरोकार सरकार पेश हुआ। मुताबिक [illegible] पैरोकार बिन्दुवार वादी स्वयं सिद्ध करे अंकित किया जाकर शामिल पत्रावली है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:56:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गये–

1. आया वाद के पैरा संख्या 1 में दर्ज आराजी वादी एवं तर प्रतिवादीगण की खानदानी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है।
2. आया वाद में विवादित आराजी के सालिम रकबे पर बदस्तूर काबिज होकर काश्त मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज रकबे पर आज भी काबिज है।
3. आया वाद में विवादित आराजी के नक्शा लट्ठा में भू–प्रबंध विभाग द्वारा रकबा से कम का नक्शा बनाकर गलत नक्शा जारी किया है जिसे वादी एवं तरप्रतिवादी मुताबिक साबिक मसाबी नक्शा के दुरूस्त कराने के अधिकारी है।
4. आया वादी एवं तर0 प्रति0 जमाबन्दी में दर्ज रकबे के लिए प्रति0 को हु0ई0दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि उक्त रकबे से वादी को बेदखल ना करे।
5. अन्य दादरसी।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबन्दी संवत 2071–2074 किता 5 प्रदर्श–1, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2, नकल खसरा सैटलमेंट किता 3 प्रदर्श–2, नकल मसाबी संवत 1978 प्रदर्श–4 पेश की एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र सुरतराम पी0डब्ल्यू0 1, सूरजभान पी0डब्ल्यू0 2 एवम विक्रम सिंह पी0डब्ल्यू0 3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि साबिक आराजी ख0न0 414 से हाल विवादित आराजी ख0 नम्बरान पैमूद करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शा लट्ठा बनाते समय साबिक ख0न0 414 के अनुसार नक्शा लट्ठा ना बनाया जाकर कम रकबा का नक्शा लट्ठा गलत तरमीम किया गया है। साबिक ख0न0 414 का रकबा मसाबी नक्शा लट्ठा के अनुसार 29+25 चौडाई में रहा है व उक्त हाल ख0 नम्बरान 859, 861 की दक्षिणी मेढ पूर्व से पश्चिम 54 गट्ठा होनी चाहिए तथा उसी अनुसार उत्तर दिशा की तरफ सीधी रेखा बनाई जावे जबकि हाल ख0 नम्बरान की उक्त मेढ 51 [illegible] तथा नक्शा लट्ठा में रकबा गलत तरमीम के कायम रहने से वादी [illegible] होता है जिसे साबिक ख0न0 414 के मसाबी [illegible] अनुसार ख0न0 859, 861 की दक्षिणी मेढ पूर्व से पश्चिम 64 गट्ठा तरमीम किये जाकर [illegible] अनुसार तरफ उत्तर में सीधी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:56:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

रेखा बनाई जाकर लाल स्याही से अंकित कर नक्शा लट्ठा दुरूस्त किये जाने के आदेश किये जाकर वादी के वाद को डिक्री किये जाने एवम उक्तानुसार ही प्रतिवादी संख्या 1 को डिक्री हु0ई0दवामी से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी की डोल का मिसमार नहीं करे का निवेदन रहा।

तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार रहा–

1. तनकी नंबर 1– आया वाद के पैरा संख्या 1 में दर्ज आराजी वादी एवं तर प्रतिवादीगण की खानदानी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादी रहा है। वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में प्रदर्श 1 लगायत 4 प्रस्तुत किये है जिसके अनुसार प्रदर्श 1 जमाबन्दी से विवादित आराजी वादी एवम तर0 प्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त आराजी की आराजी स्पष्ट रूप से साबित होने की स्थिति में यह न्यायालय उक्त तनकी को बहक वादी स्वीकार योग्य पाता है।
2. तनकी नंबर 2– आया वाद में विवादित आराजी के सालिम रकबे पर बदस्तूर काबिज होकर काश्त मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज रकबे पर आज भी काबिज है। उक्त तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादी रहा है। तनकी संख्या 1 बहक वादी स्पष्ट रूप से साबित पाये जाने की स्थिति में न्यायालय इस तनकी को भी बहक वादी स्वीकार योग्य पाता है।
3. तनकी नंबर 3– आया वाद में विवादित आराजी के नक्शा लट्ठा में भू–प्रबंध विभाग द्वारा रकबा से कम का नक्शा बनाकर गलत नक्शा जारी किया है जिसे वादी एवं तरप्रतिवादी मुताबिक साबिक मसाबी नक्शा के दुरूस्त कराने के अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादी रहा है। वाद की ताईद में वादी ने प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस एवम प्रदर्श–4 मसाबी संवत 1978 पेश किया है जिसके मुताबिक वाद नक्शा मुसाबी की तुलना अनुसार सही पाये जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।
4. तनकी नंबर 4– आया वादी एवं तर0 प्रति0 जमाबन्दी में दर्ज रकबे के लिए प्रति0 को हु0ई0दवामी से पाबन्द कराने के अधिका[illegible]बेदखल ना करे। उक्त तनकी को साबित करने का भार जिम्मे वादी रहा [illegible] की संख्या 1 लगायत 3 बरखिलाफ प्रतिवादी असल होकर बहक [illegible] पाये जाने की स्थिति में इस तनकी को भी यह न्यायालय बहक वादी स्वीका[illegible]ोग्य पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:56:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

5. अन्य दादरसी— उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

—: आदेश :—

उपरोक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वादी के आराजीं ख0न0 859/0.66 एवम 861/0.32 है0 वाके ग्राम चिरूणी तहसील मुण्डावर जिला अलवर की दक्षिणी मेढ पूर्व से पश्चिम मुताबिक मसाबी नक्शा के 54 गट्ठा हाल नक्शा लट्ठा में लाल स्याही से अंकित किये जाने के बाबत एवम उक्त पूर्व से पश्चिम मेढ के तरफ पूर्व से उत्तर की ओर सीधी रेखा बनाई जाने के बाबत के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वादी के वाद को डिक्री किया जाता है एवम उक्तानुसार ही हाल नक्शा लट्ठा में लाल स्याही से अंकित कर नक्शा लट्ठा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाता है। उक्तानुसार ही हाल नक्शा लट्ठा में अंकन कर अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.07.2022 को मेरे द्वारा लिखया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

1/07/2022

(पंकज बडगूजर)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
जिला अलवर, राजस्थान

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:56:16 IST
Reason: SelfAttested